



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २५५२/अकादमी/संबद्धता/२०१७
प्रते,

PRINCIPAL / DIRECTOR
RAJA BHOJ SHIKSHA MAHAVIDYALAYA, PLOT NO. 26 VILLAGE JAMTHI ,
BETUL 460001 MADHYA PRADESH

विषय:- बी०एस-सी०बी०एड० ऋत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 182250 दिनांक: 17-03-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: 16.05.2017 को जारी सूची क्रमांक: 47

गहोदय,

विद्या परिषद की स्थाई शभिति की बैठक दिनांक 09.06.2017 (विशेषण समिति का प्रतिवेदन दिनांक 03.06.2017 को प्राप्त हुआ) में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुगोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित विभागों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित रूपों के साथ प्रदान की जाती है :-

- महाविद्यालय को दिनांक 01/07/2017 तक परिनियम 28 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों की उपलब्धता संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
1. बी०एस-सी०बी०एड० (यार वर्षार्थ) 50 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्तः-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये विद्यमानुसार जाचेन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ट एकार्ड से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी विकाय की बैठकों का विधिनियत आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. विना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माव्य वही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित विद्यामक संख्या व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवा जाने वाले विशेषण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यामक संख्या तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विरेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इष्टके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विनियुक्ति वही की है तथा विधारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविभगितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उच्च-कुलसंचिव अकादमी
भोपाल, दिनांक 16/08/17

पुरक्रमांक २५५३/अकादमी/संबद्धता/२०१७

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मालवा भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा एवं न.प्र. शासन संत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा वरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसंचिव के विजी राहायक के नामांग से सूचनार्थ।
6. वेबसाइट प्रभारी, वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।



राहा.-कुलसंचिव, अकादमी

705



नवीन संबद्धता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २५२९/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक १४.६.१७

PRINCIPAL / DIRECTOR

SHRI BALAJI SHIKSHA MAHAVIDYALAYA, PLOT NO-3, STREET: WARD NO-1, VILLAGE: AMLA, POST OFFICE AMLA, TEHSIL AMLA, DISTRICT- BETUL- 460551, MADHYA PRADESH

विषय:- बी०एड० सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 184917 दिनांक: 04-05-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 596.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अबुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिगियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदल्ल अधिकार में अनुग्रहोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

-

1. बी०एड० (दो वर्षीय) 50 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिवियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय प्रत्र कार्टर्ड एकाउटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारीर विकास की बैठकों का वियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उबकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. लिंग संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित विद्यामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विरेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए गहाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करवा अविवार्य होगा।
- B. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों ने संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश रवत: निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 14.6.17

पृष्ठा क्रमांक २५३०/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भंडन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ग्र.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

सहाय-कुलसचिव, अकादमी





779

बद्धता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २५७/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक
०९-०६-२०१७

PRINCIPAL / DIRECTOR
RAM KRISHNA COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION,
PLOT NO. - 21/1, LAND TITLE-RESIDENTIAL, VILLAGE - BETUL, POST
OFFICE-BETUL, TEHSIL-BETUL,
DISTRICT-BETUL- 460001 MADHYA PRADESH

विषय:- बी०एस-सी०बी०एड० सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

- सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 184678 दिनांक: 01-05-2017.
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 600.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई संगठित की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०एस-सी०बी०एड० (वार वर्षांय) 50 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 2.7 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी नियमों की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिंगा संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मात्र बही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियमक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियमण में पाई गई कमियों की सूचना नियमक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिब महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति बढ़ी की है तथा नियांसित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविवितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



राष्ट्रीय-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक
०९-०६-२०१७

पृ० क्रमांक २५७/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन-भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसंचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएँ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

अहा-कुलसंचिव, अकादमी

—८३—

Jankia
अ.कुलसंचिव



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २.५।८ /अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12.6.17

PRINCIPAL / DIRECTOR
RAM KRISHNA COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION,
PLOT NO. - 21/1, LAND TITLE-RESIDENTIAL, VILLAGE - BETUL, POST
OFFICE-BETUL, TEHSIL-BETUL,
DISTRICT-BETUL- 460001 MADHYA PRADESH

विषय:- बी०एड० सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 184678 दिनांक: 01-05-2017.
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 600.

महोदय,
विद्या परिषद की उस्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके अधिनियम में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

:- 1. बी०एड० (दो वर्षीय) 50 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करवा होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अस्थादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करवा होगा।
- शासी नियम की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजवा होगा।
- शिक्षकों की वियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियमक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियीकण में पाई गई कमियों की सूचना नियमक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विरेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करवा अनिवार्य होगा।
- जिव महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की वियुक्ति नहीं की है तथा विधारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करवा संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविधिमत्ता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 12.6.17

पृ०क्रमांक २.५।१/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- अग्रुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- क्लीनीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपराचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
- कुलपति/कुलसचिव के नियी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसचिव, अकादमी



नवीन संबद्धता
सत्र 2017-18



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २८१८/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR
P.T. DWARIKADAS MAHAVIDYALAYA AATNER, BETUL 460110
MADHYA PRADESH

विषय:- बी०ए०-री०बी०ए० सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

संदर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 185583 दिनांक: 05-05-2017.
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 77

महोदय,

विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय
अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके
महाविद्यालय में संचालित विभिन्नक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

- बी०ए०-सी०बी०ए० (चार राष्ट्रीय) 100 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्तेः-

- आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 2.7 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आद्य-त्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकास की बैठकों का विधिमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की वियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत करनी होगी।
- विना राष्ट्रीय भी छात्र का प्रवेश माव्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियमक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बद्दी गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय वे कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की वियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर विश्वी भी ग्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी
भोपाल, दिनांक
13-6-2017

पृष्ठक्रमांक २८१८/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आद्यकृत, उच्च शिक्षा विभाग, दंचालनालय सातपुड़ा भवन भोपाल
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपरायिक उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बलभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के गाध्यम से सूचनार्थी।
- हेबड़ाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

सहा.-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २६५।/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक १५।०६।१७

PRINCIPAL / DIRECTOR
Gurusahab Education College, Plot No.-35/8/2, Village - Sonpure, P.O.
Chicholi, Betul 460330 MADHYA PRADESH

विषय:- बी०ए० सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 184115 दिनांक: 24-04-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12.05.2017 को जारी सूची क्रमांक: 626

महोदय,

विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2017 (निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2017 को प्रस्तुत किया गया) में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित विभागोंके अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- महाविद्यालय को दिनांक 01/07/2017 तक परिविष्यम 28 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों की उपलब्धता संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 1. बी०ए० (दो वर्षीय) 1.00 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिविष्यम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित कर्या कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारीरिक शिक्षकों का बैठकों का विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की विवृति विश्वविद्यालय के परिविष्यम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. विवा संबद्धता के किसी भी घात्र का प्रवेश गाज़ी बही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जावे वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शायद पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिव महाविद्यालय जै कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विवृति बही की है तथा विधायित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा बही किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविवितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक १५।०६।१७

पृष्ठांक २५ ५२/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. कैन्ट्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, गाज़ी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन क्षेत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक १५४४/अकादमी/संबद्धता/१७

भोपाल, दिनांक ८/६/१७

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR (765)

N.R. INSTITUTE D.ED. COLLEGE
RUN BY SHRI MAHAVIR SHIKSHA EVAM JANKALYAN SAMITY
KHASRA NO. 552/5, LAND TITLE : PATWARI HALKA NO. -54
PLOT NO. 0.607 HE, STREET BETUL ROAD,
VILLAGE MANDVI, POST OFFICE : MANDVI, TEHSIL: ATHNER,
CITY BETUL, DISTRICT BETUL-460110 (M.P.)

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

सब्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 181539 दिनांक: 07-03-2017

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरावृत्त आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रदत्त अस्थाई संबद्धता सत्र 2017-18 में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०एड० (100 दो यूनिट) छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की नियंत्रता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- चयनित प्राचार्य/शिक्षकों के वेतन भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप करना होगा एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यालय संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त गाना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसाचव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



निर०न्तर - 2

N R Institute Deol college, Manveli-Betul.

भोपाल, दिनांक १६/१७

पृ० क्रमांक २४८, अकादमी/संबंधिता/१७

प्रतिलिपि:-

१. आयुक्त, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
२. हौत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
३. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
४. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
५. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
६. वेबसाईट प्रभारी ब.ड.वि.वि. भोपाल।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

N
/ /